

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण  
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005  
ईमेल—dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687  
वेबसाईट:— rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:—निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21/

कोषाधिकारी,  
समस्त।

1746-1780K दिनांक:—  
17.12.21

विषय:— राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 को देय है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने बाबत।


संदर्भ:— इस कार्यालय का पत्रांक निपेवि/ई-कुबेर /2020-21 /1661 - 1711 -K दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त/राजस्व/2015/लूज दिनांक 16.12.2021 की पालना में बैंको के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही दिनांक 01.01.2022 से वित्त की जायेगी। इस संबंध में आप द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही संपन्न किया जाना सुनिश्चित करे:—

1. पेंशन विभाग द्वारा जारी पेंशन, गेच्युटी एवं कम्प्यूटेशन की अधिकृतियों का प्रथम भुगतान पूर्वानुसार कोषालय द्वारा अग्रिम आदेश तक किया जाता रहेगा।
2. पेंशन अधिकृति/संशोधित अधिकृति को प्रथम भुगतान के पश्चात् ऑनलाईन एवं हार्ड प्रति में आगामी भुगतान हेतु बैंक के स्थान पर पेंशन निदेशालय को भिजवाया जावेगा, ताकि पे-मैनेजर के माध्यम से निर्धारित पेंशन भुगतान किया जा सके।
3. पेंशन अधिकृति/संशोधित अधिकृति जिनका आपके द्वारा प्रथम भुगतान कर बैंको को प्रेषित कर दी गई है, परन्तु बैंक द्वारा नियमित पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया है उन अधिकृतियों को भी बैंक से वापिस मंगवाकर ऑनलाईन एवं हार्ड प्रति में पेंशन निदेशालय को भिजवायें ताकि इन अधिकृतियों का भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से किया जा सके।

भवदीय



(संजय सोलंकी)  
निदेशक